न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Appeal 225 RTA 2023-100 (GCMS 2023-222)

कानाराम पुत्र देवाराम जाति जाट
निवासी हरियाढाणा, तहसील बिलाडा
जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. नारायणराम पुत्र गुदडराम जाति जाट
   निवासी हरियाढाणा, तहसील बिलाडा
   जिला जोधपुर
2. श्रीमती भंवरीदेवी पुत्री गुदडराम जाति जाट
   निवासी हरियाढाणा, तहसील बिलाडा
   जिला जोधपुर
3. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार जोधपुर
4. सरपंच ग्राम पंचायत हरियाढाणा
   तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
5. यूको बैंक शाखा हरियाढाणा,
   तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा दिनांक 18 अप्रेल 2023 राजस्व प्रकरण संख्या 18/2022 अनवान कानाराम बनाम नारायणराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री मदनलाल चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 व 2
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 3

नि र्ण य

दिनांक : 14 अगस्त 2023

अपीलाण्ट ने यह अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 18/2022 अनवान कानाराम बनाम नारायणराम आदि में पारित आदेश दिनांक 18 अप्रेल

14.8.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2023 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 22 जून 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट-प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1358 रकबा 2.0063 हैक्टेयर वाके मौजा पटेलनगर, बिलाडा से ग्राम हरियाढाणा की सरहद पर स्थित आराजी खसरा 1236 गैरमुमकिन रास्ता तक आवागमन हेतु रास्ते की मांग की गयी। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 अप्रेल 2023 को खारिज कर दिया गया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत अपीलाण्ट की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम के तहत मय शपथपत्र प्रस्तुत किया।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के संदर्भ में विचारण न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर प्रस्तुत भू-अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलाण्ट की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1358 तक आवागमन हेतु वांछित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त वांछित रास्ते में आने वाले खसरा संख्या 1252/1 व 1252/2, खसरा संख्या 1297 व खसरा संख्या 1359 में से खसरा संख्या 1252/1 व 1252/2 ग्राम हरियाढाणा की सीमा में स्थित है और मौके पर इनमें से रास्ता चालु है। इसी प्रकार खसरा संख्या 1297 राजकीय भूमि है जो मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है। इसके बाद खसरा संख्या 1359 अप्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक व दो की खातेदारी भूमि है जिसके

14.8.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दक्षिणी-पूर्वी कोने की एक बिस्वा भूमि रास्ते हेतु वांछित है तथा इस खातेदारी के खसरा संख्या 1359 में मौके पर कोई कच्चा-पक्का निर्माण भी किया हुआ नहीं है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि खसरा संख्या 1359 के उक्त दक्षिण-पूर्वी हिस्से की भूमि का उपयोग अपीलाण्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1358 तक आवागमन हेतु किया जाता है, मगर चूंकि उक्त भूमि रेस्पो. संख्या एक व दो की खातेदारी भूमि दर्ज है इस कारण अपीलाण्ट का इसमें से होकर आवागमन समय-समय पर रेस्पो. संख्या एक व दो द्वारा बाधित कर दिया जाता है, अतः इसे रास्ता घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद कर राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाना आवश्यक है। इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 1359 के संबंध में कुछ भी विवेचन किये बिना मात्र खसरा संख्या 1252/1 व 1252/2 में आबादी भूमि एवं खसरा संख्या 1297 राजकीय भूमि होने का उल्लेख करते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रार्थी-अपीलाण्ट का प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया, जो किसी भी दृष्टि से न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे। मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा मामले में दिनांक 18 अप्रेल 2023 को पक्षकारान की बहस सुनी गयी। इसके बाद राज्य कर्मचारियों की हडताल हो जाने के कारण अपीलाधीन निर्णय बाबत समुचित समय में जानकारी नहीं हो पायी। बाद में दिनांक 20 जून 2023 को विचारण न्यायालय में जानकारी करने पर दिनांक 18 अप्रेल 2023 को ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जाना विदित हुआ। तब अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा के भीतर आलौच्य अपील प्रस्तुत कर दी गयी, जो अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे।

14.4.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और अपील अपीलाण्ट मियाद बाधित होने मात्र के आधार पर खारिज किये जाने का निवेदन करते हुए गुणावगुण पर कथन किया कि अपीलाण्ट ने धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में कदीमी रास्ता का कई वर्षो से उपयोग-उपभोग किया जाना जाहिर किया है, ऐसी स्थिति में यदि उक्त रास्ता अवरुद्ध हुआ है तो धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत उसे खुलवाने हेतु प्रार्थनापत्र सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना चाहिये क्योंकि धारा 251(ए) में नवीन रास्ता घोषित किये जाने के ही प्रावधान है, पूर्व से चालु रास्ते का खुलवाने की प्रावधान इस धारा 251(ए) में नहीं है। इस संबंध में अधिवक्ता-रेस्पो. ने परिपत्र कामंक ए-3(17)-राज-6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30 सितम्बर 2022 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। साथ ही 2014(1) आरआरटी 40 के संदर्भ से अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रास्ता घोषित किया जा सकता है। इसी प्रकार 1997 आरआरटी 45 व 2009-10 (पूरक) आरआरटी 333 उद्धरित करते हुए अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि प्रार्थी-अपीलाण्ट द्वारा वांछित रास्ते में भू-अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट में खसरा संख्या 1252/1 व 1252/2 आबादी भूमि होना दर्शाया गया है। आबादी भूमि में से रास्ता घोषित किये जाने बाबत राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं है। अतः इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपील मियाद-बाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज किये जाने का निवेदन किया।

14-8-23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख व प्रस्तुत नजीरों का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 अप्रेल 2023 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील दिनांक 22 जून 2023 को (अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित समय सीमा 60 दिन व्यतीत हो जाने के मात्र 5 दिन बाद) प्रस्तुत की गयी है। विलम्ब का कारण अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने दिनांक 18 अप्रेल 2023 को मामले में विचारण न्यायालय द्वारा बहस समायत किये जाने के बाद राज्य कर्मचारियों की हडताल हो जाने के कारण अपीलाधीन निर्णय बाबत समुचित समय में जानकारी नहीं होना जाहिर किया है। अतः न्यायहित में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम 1872 मय शपथपत्र में वर्णित तथ्यों एवं इस संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट की बहस पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध भू-अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलाण्ट की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1358 तक आवागमन हेतु वांछित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त वांछित रास्ते में आने वाले खसरा संख्या 1252/1 व 1252/2, खसरा संख्या 1297 व खसरा संख्या 1359 में से खसरा संख्या 1252/1 व 1252/2 गैरमुमकिन आबादी ग्राम हरियाढाणा की सीमा में स्थित है और मौके पर इन में से रास्ता चालु है। इसी प्रकार खसरा संख्या 1297 राजकीय भूमि है जो मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है। इसके बाद खसरा संख्या 1359 अप्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक व दो की खातेदारी भूमि है जिसके दक्षिण-पूर्वी कोने को छूता हुआ रास्ता एक बिस्वा भूमि पर है तथा इस खातेदारी के खसरा

14.8.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संख्या 1359 में मौके पर कोई कच्चा-पक्का निर्माण भी किया हुआ नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 1359 के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवेचन कर निष्कर्ष पारित किये बिना मात्र खसरा संख्या 1252/1 व 1252/2 गैरमुमकिन आबादी भूमि होने एवं खसरा संख्या 1297 राजकीय भूमि होने का उल्लेख करते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रार्थी-अपीलाण्ट का प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया, जबकि उपलब्ध मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 1236 गैरमुमकिन रास्ते से अपीलाण्ट की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1358 तक रास्ते में से बिन्दु ई से बिन्दु डब्ल्यु तक की दूरी का रास्ता खसरा संख्या 1297 की राजकीय भूमि एवं खसरा संख्या 1252/1 व 1252/2 की आबादी भूमि से होते हुए उपलब्ध है। जिसके संबंध में रास्ते की घोषणा किये जाने की आवश्कता नहीं है। अतः आबादी भूमि एवं राजकीय भूमि से रास्ते के संबंध में अधिवक्ता-रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत नजीरें इस प्रकरण में लागू नहीं होती है। किन्तु इसके बाद की दूरी बिन्दु ए से डी तक मांगे गये रास्ते की रेस्पो. संख्या एक व दो की खातेदारी की कृषि भूमि से होकर लम्बाई 43.56 फीट व चौडाई 20 फीट होकर उपयोग में आने वाला दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र 871.2 वर्गफीट (एक बिस्वा) मात्र है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राजस्व न्यायालय को उक्त बिन्दु ए-बी-सी-डी रास्ता न्यूनतम दूरी का घोषित करने का क्षेत्राधिकार उपलब्ध है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं कर मात्र अन्य खसरा संख्या 1252/1 व खसरा संख्या 1252/2 आबादी भूमि होने तथा खसरा संख्या 1297 राजकीय भूमि होने का उल्लेख करते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलाण्ट का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा251(ए) खारिज कर दिया गया, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध समुचित अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की

14.0.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 अप्रेल 2023 अपास्त करते हुए प्रार्थीगण-रेस्पो. को उनके प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में याचित अनुतोष के अनुरूप अपीलाण्ट की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1358 तक आवागमन हेतु रेस्पो. संख्या एक व दो की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 1359 के दक्षिणी-पूर्वी भाग में 20 फीट चौडाई का 43.56 फीट लम्बाई का 871.2 वर्गफीट (एक बिस्वा) क्षेत्रफल का रास्ता विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध भू-अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के नजरी नक्शा (विचारण न्यायालय की पत्रावली में पेज 64) में बिन्दु ए-बी-सी-डी हरे रंग से दर्शाये गये क्षेत्रवाला न्यूनतम दूरी का रास्ता घोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार बिलाडा को आदेश दिया जाता है कि रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि की गणना कर वर्तमान में प्रचलित डी.एल.सी. रेट से दोगुना की दर से प्रतिकर राशि जरिये चैक/बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रार्थी-अपीलाण्ट से प्राप्त कर अप्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो (खसरा संख्या 1359 के राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित खातेदारान) के बैंक खातों अथवा आवश्यक हो तो राजकोष में जमा करायी जाकर रास्ते की भूमि बाबत राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करते हुए राजस्व नक्शें में तरमीम की जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.8.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर